छापेमारी

कैसे तस्करी विरोधी रणनीतियां
सेक्स कार्यकर्ताओं के लिए शोषक प्रथाओं के
जोखिम को बढ़ाती हैं

छापेमारी

कैसे तस्करी विरोधी रणनीतियां
सेक्स कार्यकर्ताओं के लिए शोषक प्रथाओं के
जोखिम को बढ़ाती हैं

संक्षिप्त विवरण

अवैध तस्करी विरोधी उपायों पर विचार-विमर्श अक्सर वेश्यावृत्ति और महिलाओं की गुलामी और उनके प्रति हिंसा के रूप में बहस पर भारी पड़ता रहा है; और बच्चों के यौन शोषण के साथ मिला कर और धुंधला होता रहा है । अवैध तस्करी विरोधी कार्यवाही तस्करी और सेक्स कार्य के विघटन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार रहे हैं, जिससे सेक्स कार्य की एक अधिभावी संकल्पना को 'हिंसा' के रूप में देखा जाता रहा है, सेक्स कार्यकर्ताओं और अवैध तस्करी के शिकार व्यक्तियों के मानव अधिकारों के उल्लंघन की अनदेखी होती रही।

इस से एक तरफ तस्करी विरोधी संगठनों तथा दूसरी ओर सेक्स कार्यकर्ताओं के अधिकारों वाले संगठनों के बीच एक विभाजन उत्पन हुआ है। इस विभाजन ने उन रणनीतियों को प्रेरित किया है जो सेक्स कार्य में महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के बजाय सेक्स कार्य के उन्मूलन का समर्थन करती हैं। तस्करी विरोधी संवाद भी लाखों प्रवासी महिलायों के कथानकों को अमान्य करने के लिए प्रेरित करते है। सुरक्षित प्रवास और आजीविका का चयन करने के अधिकारों का नैतिकता और संस्कृति पर संकीर्ण वार्तालापों से बाधित होना जारी है।

वर्तमान शोध, सेक्स कार्य में महिलाओं के अनुभवों को आगे लाने का प्रयास है, जिन पर पुलिस की कार्यवाही हुई, उन्हें बचाया गया और उनका पुनर्वास किया गया है। महिलाओं के यौन शोषण से निपटने के लिए अपनाई छापेमारी, बचाव और पुनर्वास की रणनीतियों के बारे में हम महिलाओं के तथ्यों की जांच करते हैं। यह अध्ययन सेक्स कार्यकर्ताओं के जीवन पर कानूनों और नीतियों के प्रभाव को उजागर करता है। हम उन महिलाओं के अनुभवों के आसपास शोध को केन्द्रित करते हैं, जिन्हें छापे में 'बचा' लिया गया था, अलग-अलग समय के लिए 'पुनर्वास' किया गया था और अब वे वापिस सेक्स वर्क में हैं। ये जटिल व्याख्यान तस्करी और सेक्स वर्क में जारी रहने के निर्णय के बीच एक गैर-रैखिक संबंध दिखाते हैं।

प्रसंग

भारत प्रमुख मानव अधिकार संधियों और सम्मेलनों का हस्ताक्षरी है और समय-समय पर उनके कार्यान्वयन के स्तर पर विवरण प्रदान करता है। हाल ही के वर्षों में, सेक्स वर्करों और कार्यकर्ताओं ने सेक्स वर्क पर देश के भीतर एक मानवाधिकार के ढांचे की अभिव्यक्ति को मजबूत करने के लिए संधि संस्था रिपोर्टिंग तंत्र के साथ काम किया है। वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर उभरते हुए अधिकारों के लेखों में तर्क है कि सेक्स वर्कर्स के मानवाधिकारों का सम्मान, संरक्षण, पूरा करने और बढ़ावा देने

के प्रयासों को संविधान के तहत नागरिकों के रूप में अधिकारों को सुनिश्चित करने की जरूरत है। हालांकि, भारत सेक्स वर्कर्स के दायरे,अतिसंवेदनशीलता और मानवाधिकारों को पहचानने में विफल रहा है। भारत में तस्करी विरोधी नीतियां, विशेष रूप से अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए), तस्करी और सेक्स कार्य का समिश्रण करते हैं, तस्करी का शिकार होने वालों की रक्षा करने में विफल रहे हैं, और इस प्रकार यह सेक्स कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी करती है।

विडंबना यह है कि आजादी के बाद के दशक में आईटीपीए के अधिनियमन के बावजूद, 2013 से पहले किसी भी भारतीय कानून में तस्करी परिभाषित नहीं थी। आईटीपीए, कार्रवाई में, सेक्स वर्कर्स के जीवन पर: कार्य को आपराधिक मानकर; परिवार और बच्चों को बड़ा करने के अधिकार का अपराधीकरन करके ; गोपनीयता का अधिकार; अनुचित या जबरन बेदखली और घरों या किसी अन्य जगह से हटाने; और वयस्क सहमति को अमान्य करके प्रभावित करता है। अध्ययन ने न्यायाधीशों की आत्मनिष्ठ विवेचन के आधार पर, तस्करी से संबंधित कानूनों के तर्कों और मामलों में जिस तरीके से उनकी व्याख्या की जाती है और कैसे निर्णय लिया जाता है, के बीच अंतर का विश्लेषण किया है।

अध्ययन

भारत में तस्करी विरोधी नीतियां, विशेष रूप से अनैतिक तस्करी (रोकथाम) अधिनियम, 1956 (आईटीपीए), तस्करी और सेक्स वर्क का समिश्रण करते हैं, तस्करी का शिकार होने वालों की रक्षा करने में विफल रहे हैं, और इस प्रकार यह सेक्स कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा में बढ़ोतरी करती है।

यह शोध भारत में मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, मानव अधिकार अनुसंधान एजेंसियों और सेक्स वर्कर सामूहिकता के बीच साझेदारी का नतीजा था। इस शोध का नेतृत्व और क्रियान्वन सेक्स कार्यकर्ता संगठन वेश्या अन्याय मुक्ति परिषद (वीएएमपी) ने, भारत के गैर सरकारी संगठन संग्राम और नीदरलैंड स्थित राइट्स4चेंज द्वारा किया गया। भारत में अध्ययन भागीदारों में वैश्य अन्याय मुक्ति परिषद, सहेली एचआईवी/एड्स कार्यकर्ता संघ और आधार बहुद्देशीय संस्था, महाराष्ट्र ; उत्तर कर्नाटक महिला ओकुटा, कर्नाटक; केरला नेटवर्क ऑफ सेक्स वर्कर्स, केरल और सृजन फाउंडेशन, झारखंड हैं। अध्ययन का उद्देश्य था:

- भारत में सेक्स कार्यकर्ताओं पर अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार ढांचे के क्रियान्वन को समझना
- मानव अधिकारों के ढांचे को समझने और आंकड़ों के संग्रह और विश्लेषण की प्रक्रिया में सार्थक रूप से भाग लेने के लिए सेक्स कार्यकर्ताओं को सक्षम करना।
- सभी नागरिकों के लिए दिए गए अधिकारों और सेक्स कार्यकर्ताओं के जीवन में उनकी प्रयोज्यता के बीच फासले की पहचान करना।
- श्रमिकों द्वारा सहन किए हिंसा और उल्लंघन के अनुभवों को जांचना
- छापेमारी और बचाव उपक्रमों से सेक्स कार्यकर्ताओं के जीवन पर प्रभाव दर्ज करना और विश्लेषण करना।

सामुदायिक विवरण के माध्यम से विश्लेषण करें कि कैसे वयस्क सेक्स कार्यकर्ताओं की सहमति से तस्करी विरोधी कानून और नीतियां लागू की जाती हैं।

शोध

वीएएमपी (VAMP) और संग्राम (SANGRAM) ने ढांचे को विकसित किया और झारखंड, कर्नाटक, केरल और महाराष्ट्र से सेक्स कार्यकर्ताओं के समूह से अनुसंधान दल का चयन किया, जिन्होंने अध्ययन स्थलों का गठन किया।जून 2015 में 'सेक्स कार्यकर्ताओं के मानव अधिकारों पर तस्करी विरोधी कानूनों के प्रभाव का मूल्यांकन' की एक प्रशिक्षण कार्यशाला ने सैद्धांतिक ढांचे को निर्धारित किया था।एक 'सामुदायिक अनुसंधान गाइड' ने विधि संबंधी पहलुओं को समझाया और सहकर्मी शोधकर्ताओं के साथ साझा किया।

अध्ययन में उचित पथप्रदर्शक को नियोजित करके, जो कि तस्करी विरोधी कानूनों और नीतियों के मानव अधिकारों पर प्रभावों की जांच और विश्लेषण करने का एक साधन है, जो इसे सरकार के मानवाधिकार दायित्वों से जोड़ता है, और अधिकार-आधारित और साक्ष्य-आधारित नीतिगत सुधारों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से पैरवी के लिए नतीजों का उपयोग करता है। उचित पथप्रदर्शक के - हिंदी और मराठी में अनुवाद को - राज्य के उत्तरदायित्व ; ज्ञान / सबूत-आधारित कार्रवाई; आंदोलनों को एकत्रित करके और उनमें भागीदारी करके और गठजोड़ बनाने के सिद्धांतों पर बनाया गया है।

इस अध्ययन को प्राथमिक स्रोतों के माध्यम से आयोजित किया गया जिसमें समूह चर्चा (14 एफजीडी में 156 प्रतिभागियों), सर्वे (243 प्रतिभागियों) और सभी चार राज्यों में साक्षात्कार (23) पर ध्यान केंद्रित किया गया था।माध्यमिक स्रोतों में न्यायिक निर्णय, कानून और संधि दस्तावेजों और भारत की संयुक्त राष्ट्र को दिए विवरण का अवलोकन करना शामिल है।भारतीय दंड संहिता के तहत मामलों में आईटीपीए के फैसलो के अलावा, किशोर न्याय अधिनियम और अन्य कानूनों का भी विश्लेषण किया गया। जानकारी हासिल करने के लिए सूचना के अधिकार भी इस्तेमाल किया गया था।

अध्ययन में उचित पथप्रदर्शक को नियोजित करके, जो कि तस्करी विरोधी कानूनों और नीतियों के मानव अधिकारों पर प्रभावों की जांच और विश्लेषण करने का एक साधन है, जो इसे सरकार के मानवाधिकार दायित्वों से जोड़ता है, और अधिकार-आधारित और साक्ष्य-आधारित नीतिगत सुधारों के लिए अधिक प्रभावी ढंग से पैरवी के लिए नतीजों का उपयोग करता है।

अनुसंधान में सेक्स कार्यकर्ताओं, जो कि कई प्रकार की परिस्थितियों में काम कर रहे थे: ग्रामीण और शहरी; सड़कों, वेश्यालय और लॉज; साथ ही 'गुप्त' सेक्स वर्कर्स जो कि खुले तौर पर सेक्स कार्य नहीं करते थे पर तस्करी के कानूनों के प्रभाव का अध्ययन किया।इन मानदंडों के आधार पर अध्ययन के प्रतिभागियों की पहचान की गई थी। अनुसंधान उन जगहों पर आयोजित किया गया जहां सेक्स कार्यकर्ताओं के समूह सक्रिय थे ताकि वे अभियान रणनीतियों के निष्कर्षों को अनुसंधान अवधि के बाद आगे ले जा सकें। प्रारंभिक निष्कर्ष शोधकर्ताओं और सहयोगी समूह के सदस्यों के साथ एक

सत्यापन बैठक में प्रस्तुत किए गए थे। जरूरतों और सिफारिशों पर चर्चा की गई और निष्कर्ष को अनुसंधान में शामिल किया।

आकड़ों को महाराष्ट्र के चार शहरों कोल्हापुर, जलगांव, पुणे और सांगली की 243 महिलाएं जो 2005 और 2017 के बीच छापेमारी के दौरान पकड़ी गई थी, के साक्षात्कार और समूह चर्चाओं, उनके घर के दौरे और बचाव घरों के दौरे के माध्यम से एकत्र किया गया था।

अगले चरण के शोध में वो महिलाएं शामिल थी जिन्हें छुट्टी दे दी गई या रिहा होने के बाद जिनकी निगरानी की गई थी या फिर सुधार गृहों से भाग गई थी, जो अपनी स्वयं की इच्छा के सेक्स कार्य कर रही थी, जिनको छापेमारी के समय 'बचाया'गया था, अलग-अलग अवधि के लिए 'पुनर्वासित' और बचाव घरों से रिहा होने के बाद उनकी काम के विकल्प पर शोध किया गया।

वेश्यालयों में काम कर रहे समूह, सीबीओ और एनजीओ छापेमारी के आंकड़े एकत्र करते हैं और उन महिलाओं का पता लगाते हैं जिन्हें पकड़ा गया था। पुणे में, सामुदायिक शोधकर्ताओं ने उन लोगों से बात की जिन पर छापेमारी की गई थी और जिन्हें बचाव घरों से रिहा किया गया था। उन्होंने बचाव घरों में उन लोगों की स्थिति का पता लगाने लिए सूचना के अधिकारों अंतर्गत याचिका भी दायर की और महिलाओं के साथ बातचीत करने के लिए बचाव घरों का दौरा किया। सामुदायिक शोधकर्ताओं ने इस क्षेत्र में छापेमारी में पकड़ी गई महिलाओं के साथ समूह चर्चाओं और व्यक्तिगत साक्षात्कार भी आयोजित किए।

मामले की संवेदनशीलता समझा गया क्योंकि जिन महिलाओं की मुलाकात की गई थी, उनमें से कई महिलाओं ने रिहाई से पूर्व शपथ पत्र दिए और न्यायालय या बचाव एजेंसी को सौंपे गए शपथ पत्रों पर हस्ताक्षर किए और कहा कि वह सेक्स कार्य नहीं करेंगे। कुछ प्रतिभागियों की गोपनीयता को बनाए रखने और पहचान को छिपाने के का पूरा ध्यान रखा गया था।

निष्कर्ष

अध्ययन का प्रायोजन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूँढने के लिए साक्ष्यों की खोज करना था: यदि महिलाओं को बलपूर्वक सेक्स कार्य में प्रवेश करवाया जाता है तो वे स्वेच्छा से सेक्स कार्य दोबारा क्यों करना चाहती हैं? यदि वे कौशल की कमी के कारण अन्य नौकरियों नहीं करते हैं, तो वह वे कौशल जिससे उन्हें जीविका चलाने में मदद मिल सकती थी, को सिखाए जाने के बाद भी क्यों लौट आए? यदि उन्होंने ' बदतर परिस्थितियों' के कारण सेक्स कार्य में प्रवेश किया था, तो क्या कारण है कि वे वापस आए जबकि उन परिस्थितियों में बेहतर बदलाव आया था? यदि उन्होंने धोखेबाज लोगों पर भरोसा करके या प्रलोभन में आकर इस कार्य में प्रवेश किया था, तो वे क्यों वापस आए जबकि उन्हें 'नया जीवन' बनाने का मौका मिला था? यदि उन्होंने जीवन के विकल्पों की कमी के कारण प्रवेश किया था, तो उन्होंने लौटने का विकल्प क्यों 'चुना'?

शोध निष्कर्षों का सारांश निम्नलिखित है:

छापेमारी की पूरी प्रक्रिया में कथित पीड़ितों की भरसक उपेक्षा की जाती है, जिन्हें निकाला जा रहा था। अपमान, मौखिक और शारीरिक शोषण इन छापेमारी के नियमित भाग है।

नैतिकता और एकपक्षीय कानून

- समस्या की असली जड़ क़ानून, अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम (आईटीपीए) है, जिसके अपने नाम में ही महिलाओं की 'अनैतिकता' और 'तस्करी' शामिल है, परन्तु असलीयत में सेक्स कार्यकर्ताओं के प्रति विरोधी दृष्टिकोण है।
- भारतीय के उच्चतम न्यायालयों और सर्वोच्चतम न्यायालय में 2010-17 से कानूनी मामलों के विश्लेषण के मामलों की संख्या में वृद्धि हुई है, संभवतः सेक्स कार्य के अंत की वकालत कर अपनी रणनीति के भाग के रूप में कानून लागू करना लॉबियों का संकेत है।
- स्पष्टीकरण, आदेशों और अदालतों के फैसले सहित कानूनी मशीनरी द्वारा सेक्स कार्यों के अनैतिकता के रंग में रंगा जाता है और वयस्क महिलाओं को उनके परिवारों की हिरासत में बच्चों की तरह रखने को 'सुरक्षित' माना जाता है: इसे अवैध घोषित कर जीविका चलाने को अपराधीकरण बनाने से "एक सेक्स वर्कर की जीविका बंद हो जाती हैं; और यह न केवल आजीविका पर ही प्रभाव डालता है, बल्कि यौन कार्यकर्ताओं को 'तीसरे पक्ष' जैसे कि वेश्यालय के रखवाले और तस्करी करने वाले भी अपराधीकरण के लिए सुरक्षा निवारक बनकर प्रभावित करते हैं।

कानून प्रवर्तन तंत्रों को सेक्स कार्यकर्ताओं के खिलाफ भारित किया जाता है, और पुलिस अक्सर हिंसा, जेल, जुर्माना और जबरन वसूली को सही साबित करने के लिए कानून का उपयोग करती है, और कानूनी व्यवस्था में उम्मीद बहुत कम है।

छापेमारी और उसके बाद के परिणाम

- छापामारी के दौरान अनैतिक पुलिस कार्रवाई, सेक्स कार्यकर्ताओं के अधिकारों और वेश्यालय मानी जाने वाली इमारतों में रहने वाले आम लोगों के प्रति तुच्छ सम्मान आम बात थी।

- छापे की पूरी प्रक्रिया में कथित पीड़ितों, जिन्हें निकाला जा रहा था को उल्लेखनीय उपेक्षा का सामना करना पड़ा।तिरस्कार, मौखिक और शारीरिक दुर्व्यवहार इन छापों के नियमित भाग थे।

- मीडिया का दुरुपयोग और गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन, पुलिस और मीडिया की मिलीभगत के साथ महिलाओं को अपमानित करना और छापे की कहानियों को सनसनीखेज ख़बरें बनाना था।
- पुलिस द्वारा सेक्स कार्यकर्ताओं पर बलप्रयोग और, जबरन वसूली छापेमारी और बुरा व्यवहार करने के एवज में गरंटी के रूप में इस्तेमाल किया गया था।

- कंडोम ले जाने वाले सेक्स कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के लिए कानून के दुरूपयोग का एचआईवी की रोकथाम पर प्रतिकूल असर पड़ता है, और पकडे जाने के बाद जबरन परीक्षण कानून के खिलाफ है, जैसा कि एचआईवी अवस्था के परिणाम का प्रचार हो रहा है।

- पुलिस जिस क्रूरता के साथ सेक्स कार्यकर्ताओं पर हिंसा प्रयुक्त करती है, उससे समाज के अन्य सदस्यों को ऐसा करने की शह मिलती है।

- पुलिस सामान विचारधारा पर चलती हैं, कुछ मामलों में पुलिस की हिरासत में बंधुआ मजदूरी और उत्पीड़न जैसा सुलूक भी होता है।

अदालत की पेशी में सेक्स कार्यकर्ताओं को लगातार शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है, जहां किसी भी कानूनी प्रक्रिया के शुरू होने से पहले, हिरासत में ली गई महिलाओं को अपराधी माना जाता है, जिनको अपनी बात रखने का भी अधिकार नहीं है। इन मामलों को झूठे होने के बावजूद उन्हें 'अपने अपराध को स्वीकार' करने के लिए भी मजबूर किया जाता है।

बचाव : बेहतर जीवन का मिथक

- सेक्स वर्क से 'बचायी गयी' महिलाओं को कभी-कभी पुनर्वास घरों में यौन सेवाएं प्रदान करने के लिए मजबूर किया जाता है और इस प्रकार वेह "पुनर्वास की शिकार" बन जाती हैं।
- "कौशल विकास" एक तेजी से बढ़ने वाली कॉर्पोरेट अर्थव्यवस्था के संदर्भ में अप्रभावी थी, जहां सिलाई या पापड और अचार बनाने जैसे कौशल आर्थिक रूप से गुजारे लायक नहीं हैं।
- अदालतों की प्रक्रियात्मक पहलुओं को सेक्स कार्यकर्ताओं के खिलाफ रखा जाता है, जिससे खुद को निकालने के लिए उन्हें उच्च ब्याज दरों बड़ी रकम उधार लेनी पड़ती है।
- जेल की अवधि के दौरान आजीविका के नुकसान के चलते सेक्स कार्यकर्ताओं को रिहाई पर भारी कर्ज का सामना करना पड़ता हैं। तब उन्हें ऋण बंधन या शोषण प्रथाओं के अन्य रूपों के अधीन किया जाता है, जो महिलाओं को शोषण से बचाने का प्रयास करने वाली प्रक्रिया के लिए विचित्र है।

रिहाई के बाद, सेक्स कार्यकर्ता ज्यादा मजबूर और वेश्यालय के मालिकों के ज्यादा नियंत्रण में होते हैं जिन्होंने पुलिस बहुत रूपए दिए हैं ताकि आगे से छापो को रोका जा सके। उनके आने जाने और नियमित स्वास्थ्य जांच में भी कटौती की जाती है।

संगठित होकर तस्करी का मुकाबला करना

- कार्यकर्ताओं ने संगठित होकर सेक्स के कार्य में लड़कियों और महिलाओं की तस्करी से मुकाबला करने की प्रभावी रणनीति तैयार की है।

सेक्स कार्यकर्ता जिनको छापे के दौरान उठाया या बचाया गया था छोड़े जाने के बाद बड़ी मात्रा में वापिस सेक्स के कार्य में शामिल हो गए। सेक्स के कार्य में वापसी करने वालों में वो शामिल थे, जिनको पहले तस्करी करके लाया गया था और जिन्होंने अपनी स्वयं की इच्छा के सेक्स के कार्य में प्रवेश किया था। रेड और बचाव के बाद, कई लोग बहुत जोखिम उठा कर सेक्स के कार्य पर पर वापस लौट आए थे, क्योंकि उन्होंने वचनपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं कि वे सेक्स का कार्य छोड़ेंगे।

ये संख्या हमें
क्या बताती हैं,
और क्या हम

आँकड़ों में
शामिल
महिलाओं की बात सुनने
के लिए तैयार हैं?

1. **0.82% (243** में से **2)** छापेमारी के समय नाबालिग थे, शेष वयस्क थे
2. **79% (243** में से **193)** महिलाओं का कहना है कि छापे के समय वे स्वेच्छा से सेक्स के काम में थी और वे "बचाव" नहीं करना चाहते थी।
3. **36% (36** में से **13)** महिलाएं जो तस्करी द्वारा लाई गई थी, जो उस समय सेक्स का काम कर रही थी और उनका कहना था कि इस काम में बने रहना चाहती हैं।

77% (218 में से **168)** महिलाएं जिनको रिहा किया गया, वे सेक्स के काम में वापिस लौट आई।

अंतिम नोट: प्रमुख बिंदु

छापे का आदेश देने और आयोजित करने में शामिल पुलिस, एनजीओ और अन्य लोग आम तौर पर छापे के दौरान आने वाले व्यक्तियों के जटिल जीवनपथ के प्रति संवेदनशील नहीं होते हैं। पूरा विभाग 'तानाशाही रवैया' पर अड़ा रहता है, साथ ही उन लोगों की बात सुनने के लिए मना कर देता है जिनको कथित रूप से छुड़ाए जा रहा हैं। सेक्स कार्य में नाबालिग- छापे के दौरान एक सामान्य औचित्य के विपरीत - शोध में पाया गया कि छापे में पकड़े जाने वालों में कुछ प्रतिशत ही नाबालिग थे। इसके अतिरिक्त, शोध से पता चला कि सेक्स का कार्य करने वालो की एक भारी प्रतिशत जिनको पकड़ा गया था और छापे में 'बचाया गया' वह छूटने के बाद वापिस सेक्स कार्य करने में लग गए थे। सेक्स के कार्य में वापसी करने वालों में वो शामिल थे, जिनको पहले तस्करी करके लाया गया था और जिन्होंने अपनी स्वयं की इच्छा के सेक्स के कार्य में प्रवेश किया था। रेड और बचाव के बाद, कई लोग बहुत जोखिम उठा कर सेक्स के कार्य पर पर वापस लौट आए थे, क्योंकि उन्होंने वचनपत्र पर हस्ताक्षर किए हैं कि वे सेक्स का कार्य छोड़ेंगे।

इस अध्ययन के साक्ष्य से पता चलता है कि बचाव और बहाल मिशन ने न केवल पीड़ित समुदायों के लिए अव्यवस्थित, हिंसक और विनाशकारी साबित कर हुआ हैं, बल्कि यौन कार्य में नाबालिगों और सेक्स कार्य करने लिए मजबूर वयस्कों की समस्या को हल करने में भी अप्रभावी रहा है। कई वर्षों से चले आ रहे पुलिस छापे भी मानव तस्करी के खतरे से मुकाबला करने में सक्षम नहीं है।

इस अंधेरी सुरंग के अंत में एकमात्र प्रकाश की किरण जागरूक सेक्स वर्कर्स के समूह है जो खुद को और सेक्स कार्य में तस्करी कर लाए जा चुके नाबालिगों और महिलाओं को हिंसा और दुर्व्यवहार भरे जीवन से बाहर निकालने के लिए एकत्रित हो रहे हैं। किसी भी समुदाय में यह विचार है कि बचाव एक दमनकारी पुलिस बल का उपयोग कर 'बाहर' से किया जा सकता है जो सुरक्षा के बजाय हिंसा को उत्तेजित करता है, और समस्या को और गहरा करता है।

उस विशेष वेश्यालय या समुदाय से सेक्स कार्य में महिलाओं की भागीदारी के बिना छापे और बचाव की रणनीति सेक्स कार्य के लिए मजबूर महिलाओं को कोई सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। यह शायद अधिक स्पष्ट हो सकता है कि चर्चा के केंद्र में महिलाओं के हकों पर विस्तार से व्याख्या करना है।

यह शोध मानव अधिकार कार्यकर्ताओं, मानव अधिकार अनुसंधान एजेंसियों और भारत में सेक्स कार्यकर्ताओं की सामूहिकता के बीच साझेदारी का परिणाम था। इस शोध का नेतृत्व और संचालन सेक्स कार्यकर्ता के सामूहिक प्रयास द्वारा भारत के वेश्या अन्याय मुक्ति परिषद (वीएएमपी) ने, एनजीओ संग्राम और नीदरलैंड के राईट4चेंज द्वारा किया गया था। भारत में अध्ययन भागीदारों में वेश्या अन्याय मुक्ति परिषद, सहेली एचआईवी/एड्स कार्यकर्ता संघ और आधार बहुद्देश्यीय संस्थान, महाराष्ट्र ; उत्तर कर्नाटक महिला ओककुटा, कर्नाटक; केरल के सेक्स कार्यकर्ता, केरल और सृजन फाउंडेशन, झारखंड थे।

अध्ययन का प्रायोजन महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूँढने के लिए साक्ष्यों की खोज करना था: यदि महिलाओं को बलपूर्वक सेक्स कार्य में प्रवेश करवाया जाता है तो वे स्वेच्छा से सेक्स कार्य दोबारा क्यों करना चाहती हैं? यदि वे कौशल की कमी के कारण अन्य नौकरियों नहीं करते हैं, तो वह वे कौशल जिससे उन्हें जीविका चलाने में मदद मिल सकती थी, को सिखाए जाने के बाद भी क्यों लौट आए? यदि उन्होंने ' बदतर परिस्थितियों' के कारण सेक्स कार्य में प्रवेश किया था, तो क्या कारण है कि वे वापस आए जबकि उन परिस्थितियों में बेहतर बदलाव आया था? यदि उन्होंने धोखेबाज लोगों पर भरोसा करके या प्रलोभन में आकर इस कार्य में प्रवेश किया था, तो वे क्यों वापस आए जबकि उन्हें 'नया जीवन' बनाने का मौका मिला था? यदि उन्होंने जीवन के विकल्पों की कमी के कारण प्रवेश किया था, तो उन्होंने लौटने का विकल्प क्यों 'चुना'?